न्यायालयः उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला– जालोर

(पीठासीन अधिकारी संजीव कुमार खेदड़ आर.ए.एस)

मुकदमा संख्याः 4/2020

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंट
चनणी पुत्री रामुराम पत्नी आसुराम जाति विश्नोई, निवासी– जाखल, हाल निवासी– सरवाना, तहसील– सांचौर, जिला– जालोर।		1. सरपंच ग्राम पंचायत जाखल। 2. रुगनाथ पुत्र रामुराम 3. परमेश्वरी पुत्री रामुराम 4. स्व. शांति पुत्री रामुराम फौत के कायम मुकाम – अ– अशोक पुत्र पूनमाराम 5. सुगणी पुत्री रामुराम 6. स्व. मीरा पत्नी रामुराम फौत के कायम मुकाम – अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 5 7. संजय पुत्र प्रकाश 8. सुशिला पुत्री प्रकाश 9. सोहन पुत्र पूनमा 10. झमकु बैवा पूनमा 11. काछबा पुत्र प्रहलाद 12. जाला पुत्र प्रहलाद जातियान– विश्नोई, निवासीगण– जाखल, तहसील– सांचोर, जिला– जालोर।

<u>नामांतरण अपील बैनाराजगी आदेश ग्राम पंचायत जाखल, नामांतरण संख्या 287 दिनांक 14.03.2008</u>

उपस्थितः

1. श्री सोहनलाल विश्नोई वकील अपीलार्थी की ओर से।
2. श्री धवलचंद विश्नोई वकील रेस्पोडेंट संख्या 1, 11, 12 की ओर से।
3. रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 10 एक पक्षिय।

निर्णय दिनांक : 24.07.2023

अपीलार्थी की ओर से अपील का [illegible] रण इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा एक अपील बर खिलाफ रेस्पोडेंटस [illegible] जरिये वकील पेश कर बताया कि अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 6 [illegible] संयुक्त हिन्दू परिवार के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Kheder
Date: 2023.07.27 17:35:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

सदस्य है एवं स्व. रामुराम के उतराधिकारी एवं जायज वारिशान है। स्व. रामुराम के वांके मौजा जाखल के खेत खसरा नम्बर 418 रकबा 1.82 हैक्टर, खसरा नम्बर 421 रकबा 1.60 हैक्टर, खसरा नम्बर 447 रकबा 1.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 478 रकबा 1.84 हेक्टर, खसरा नम्बर 491 रकबा 1.64 हैक्टर, खसरा नम्बर 514 रकबा 1.30 हैक्टर जुमले रकबा 9.21 हैक्टर में रामुराम का 1/2 हिस्सा खातेदारी का व खसरा नम्बर 1474 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 1475 रकबा 2.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 1476 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 1477 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 1478 रकबा 2.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 1496 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 1496/1715 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 1507 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 1508 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 1509 रकबा 1.61 हैक्टर, खसरा नम्बर 1516 रकबा 1.63 हैक्टर, खसरा नम्बर 1518 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 1519 रकबा 0.72 हैक्टर, खसरा नम्बर 1529 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 1530 रकबा 0.57 हैक्टर कुल रकबा 9.52 हैक्टर में स्व. रामुराम की खातेदारी का 1/4 हिस्सा आया हुआ है। उपरोक्त खसरा नम्बरान की आराजी में स्व. रामुराम के खातेदारी की आराजी अपीलांट व रेस्पोडेंट 2 ता 6 की पुश्तैनी पैतृक आराजी आई हुई है। स्व. रामुराम के फौत होने पर रेस्पोडेंट संख्या 2 रूगनाथ ने हल्का पटवारी जाखल से मिलावट कर एवं तात्कालिन सरपंच ग्राम पंचायत जाखल से मिलावट कर एक फर्जी एवं कूट रचित रामुराम का उतराधिकारी शपथ पत्र पेश कर फर्जी उतराधिकारी प्रमाण पत्र जारी करवा कर मौजा जाखल के उपरोक्त खसरा नम्बरान आराजी में से रामुराम की खातेदारी आराजी का फौतेदगी नामांतरण संख्या 287/14.03.2008 अवैध व विधि विरूद्ध रूप से स्वीकृत करवा कर तमाम राजस्व रेकर्ड में स्व. रामुराम की बजाय रेस्पोडेंट रूगनाथ एवं स्व. मीरा के नाम की अवैध व गलत दुरस्ती करवाई जो विधि विरूद्ध है जबकि रामुराम के उतराधिकारी एव जायज वारिशान अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 6 होने से मौजा जाखल में स्थित उपरोक्त खसरा नम्बरान आराजी में स्व. रामुराम की खातेदारी आराजी की रामुराम के बजाय फौतेदगी नामांतकरण अपीलांट एवं रेस्पोडंट 2 ता 6 के नाम स्वीकृत किया जाकर तमाम राजस्व रेकर्ड में रामुराम के बजाय अपीलांट एवं रेस्पोडेंट नम्बर 2 ता 6 के नाम की दुरस्ती की जानी विधि सम्मत है। नामां[illegible] 287/14.03.2008 अवैध एवं विधि विरूद्ध होने से काबिल खारीज के है। [illegible] संख्या 287/14.03.2008 सरपंच ग्राम पंचायत [illegible] स्वीकृत [illegible] में निम्न लिखित तकनीकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Kheder
Date: 2023.07.27 17:35:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी-सांचौर जिला जालोर (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

भूले एवं विधिक भुले की है। स्व. रामुराम के उतराधिकारी एवं जायज वारिशान अपीलांअ एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 6 होने से मौजा जाखल में स्थित रामुराम के खातेदारी आराजी का फौतेदगी नामांतरण रामुराम के बजाय अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 6 के नाम स्वीकृत किया जाकर तमाम राजस्व रेकर्ड में रामुराम के बजाय अपीलांट संख्या 2 ता 6 के नाम दुरस्ती की जानी विधि सम्मत है। रेस्पोडेट संख्या एक ने नामांतरण संख्या 287/14.03.2008 की कार्यवाही के दौरान रामुराम के उतराधिकारी एवं जायज वारिशान अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 6 को सुनवाई का अवसर दिया जाकर स्वीकृति की कार्यवाही की जानी विधि सम्मत थी। जबकि नामांतरण संख्या 287/14.03.2008 को अपीलांट एवं रेस्पोडेंट नम्बर 2 ता 6 को सुनवाई का अवसर दिये बिना स्वीकृत किया है। जो विधि विरूद्व होने से खारीज के काबिल है।

वांके मौजा जाखल में स्थित उपरोक्त खसरा नम्बरान आराजी में से स्व. रामुराम के खातेदारी आराजी अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 6 की पैतृक एवं संयुक्त कब्जेकाश्त की आई हुई है। नामांतरण संख्या 287/14.03.2008 की मौके पर कब्जे की ताहिद किये बिना स्वीकृत किया गया है। जो काबिल खारीज के है। अपील से 15 रोज पूर्व अपीलांट को किसान क्रेडिट कार्ड के लिए जमाबन्दी प्राप्त करने पर अपीलांट को जानकारी होने पर नामांतरण संख्या 287/14.03.2008 की नकले प्राप्त करने पर जानकारी हुई। अपीलांट की अपील अन्दर म्याद पेश हैं । धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना–पत्र अपील के साथ पेश है। रेस्पोडंट संख्या 7 से 12 सहखातेदार होने से पक्षकार बनाया गया है। उनसे किसी प्रकार का अनुतोष नही चाहा है। नामांतरण संख्या 287/174.03.20028 सरपंच ग्राम पंचायत जाखल द्वारा अवैध एवं विधि विरूद्व से स्वीकृत किया गया है। अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि नामांतरण संख्या 287/14.03.2008 ग्राम पंचायत जाखल को खारीज फरमा कर मौजा जाखल में स्थित उपरोक्त खसरा नम्बरान आराजी का फौतेदगी नामांतरण स्व. रामुराम की बजाय अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 6 के नाम स्वीकृत किया जाकर तमाम राजस्व रेकर्ड में दुरस्ती की जानी का आदेश प्रदान करे।

अतः अपील अपीलार्थी की स्वीकार की जाकर आदेश दिये जावे कि नामांतरण संख्या 287 दिनांक 14.03.2008 [illegible] कर खसरा नम्बर 418 रकबा 1.82 हैक्टर, खसरा नम्बर 421 रकबा 1.60 हैक्टर, खसरा नम्बर [illegible] रकबा 1.01 हैक्टर, खसरा नम्बर [illegible] रकबा [illegible] हैक्टर, खसरा नम्बर 491 रकबा 1.64

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Kheder
Date: 2023.07.27 17:35:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी–सांचौर जिला जालोर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

हैक्टर, खसरा नम्बर 514 रकबा 1.30 हैक्टर जुमले रकबा 9.21 हैक्टर में रामुराम का 1/2 हिस्सा खातेदारी का व खसरा नम्बर 1474 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 1475 रकबा 2.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 1476 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 1477 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 1478 रकबा 2.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 1496 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 1496/1715 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 1507 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 1508 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 1509 रकबा 1.61 हैक्टर, खसरा नम्बर 1516 रकबा 1.63 हैक्टर, खसरा नम्बर 1518 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 1519 रकबा 0.72 हैक्टर, खसरा नम्बर 1529 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 1530 रकबा 0.57 हैक्टर कुल रकबा 9.52 हैक्टर में स्व. रामुराम की खातेदारी का 1/4 हिस्से में स्व. रामुराम के बजाय जायज वारिशान अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 6 के नाम नामांतरण हेतु पेश है। इस प्रकार अपीलांट ने अपील अन्दर म्याद पेश की है। शुमार करने हेतु अलग से धारा 5 परिसिमा अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर समन के जिरिये रेस्पोडेंटसगण को सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेंटसगण 1, 11, 12 ने दिनांक 25.02.2021 को जवाब पेश किया तथा रेस्पोडेंटगण 2 ता 10 समन तामिल के बावजूद गैर हाजिर रहने पर उनके विरूद्व दिनांक 29.05.2023 को एक पक्षिय कार्यवाही की गई। वकील अपीलांट संख्या 1, 11, 12 की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को विस्तृत रूप से दौहराते हुए अपील स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। वकील रेस्पोडेंट संख्या 1, 11, 12 अपीलांट को सही होना स्वीकार किया। अन्य कोई नई बात नही की।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अध्ययन व अवलोकन किया एवं बहस के बिन्दुओं पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलांट द्वारा पेश अपील में पेश दस्तावेजों का अवलोकिन किया जिसके अनुसार अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 6 स्व. रामुराम के जायज वारिशान पाये गये। नामांतरण संख्या 287/14.03.2008 रेस्पोडेंट संख्या 2 व 6 के नाम की गई जो कानूनी ... उक्त नामांतरण संख्या 287/14.03.2008 गलत होने से ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Kheder
Date: 2023.07.27 17:35:17 IST
Reason: SelfAttested

(संजीव कुमार खेदड़ RAS)
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर

उपखण्ड अधिकारी सांचौर

उपखण्ड अधिकारी–सांचौर जिला जालोर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

अतः अपील अपीलांट की अन्दर म्याद स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत जाखल के नामांतरण संख्या 287/14.03.2008 खारीज किया जाकर खसरा नम्बर 418 रकबा 1.82 हैक्टर, खसरा नम्बर 421 रकबा 1.60 हैक्टर, खसरा नम्बर 447 रकबा 1.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 478 रकबा 1.84 हैक्टर, खसरा नम्बर 491 रकबा 1.64 हैक्टर, खसरा नम्बर 514 रकबा 1.30 हैक्टर जुमले रकबा 9.21 हैक्टर में रामुराम का 1/2 हिस्सा खातेदारी का व खसरा नम्बर 1474 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 1475 रकबा 2.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 1476 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 1477 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 1478 रकबा 2.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 1496 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 1496/1715 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 1507 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 1508 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 1509 रकबा 1.61 हैक्टर, खसरा नम्बर 1516 रकबा 1.63 हैक्टर, खसरा नम्बर 1518 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 1519 रकबा 0.72 हैक्टर, खसरा नम्बर 1529 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 1530 रकबा 0.57 हैक्टर कुल रकबा 9.52 हैक्टर में स्व. रामुराम की खातेदारी का 1/4 हिस्से की भूमि स्व. रामुराम के जायज वारिशान अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 5 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने बाबत तहसीलदार सांचौर को आदेश प्रदान किये जाते है। इस आशय की अलग से तहरीर जारी हो, पक्षकारारन खर्चा अपना अपना वहन करे।

(संजीव कुमार खेदड़ RAS)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

उपखण्ड अधिकारी सांचौर

उपखण्ड अधिकारी–सांचौर जिला जालोर (राज.)

निर्णयः आज दिनांक 24.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(संजीव कुमार खेदड़ RAS)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Kumar Kheder
Date: 2023.07.27 17:38:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी–सांचौर जिला जालोर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner